सीमाशुल्क टैरिफ

खंड 72—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की,—

(i) पहली अनुसूची का कतिपय मदों पर शुल्क की दर बढ़ाने की दृष्टि से दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है ;

(ii) दूसरी अनुसूची का, क्रोमियम, अयस्क और सांद्र पर निर्यात शुल्क बढ़ाने की दृष्टि से तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है ।

उत्पाद-शुल्क

खंड 73—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 2 का, खंड (घ) में, जो "उत्पाद-शुल्क्य माल" को परिभाषित करता है, एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है । प्रस्तावित स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "माल" के अंतर्गत ऐसी कोई वस्तु, सामग्री या पदार्थ भी है, जो प्रतिफल के लिए क्रय और विक्रय किए जाने के योग्य है और ऐसा माल विपण्य समझा जाएगा । यह माल की विपण्यता के संबंध में कतिपय मामलों में निर्णयों के कारण होने वाले संदेहों को दूर करेगा और यह भविष्यवर्ती रूप से लागू होगा ।

खंड 74—केन्द्रीय उत्पाद -शुल्क अधिनियम में नई धारा 3क अंतःस्थापित करने के लिए है । प्रस्तावित धारा केंद्रीय सरकार को अधिसूचित माल की बाबत उत्पादन की क्षमता के आधार पर उत्पाद-शुल्क प्रभारित करने के लिए सशक्त करती है । प्रस्तावित धारा यह उपबंध करती है कि केंद्रीय सरकार ऐसे माल को अधिसूचित करेगी, जिन पर उत्पाद-शुल्क उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जाएगा और वह उस कारखाने की, जिसमें अधिसूचित माल का उत्पादन किया जाता है, वार्षिक उत्पादन क्षमता के अवधारण, अधिसूचित माल के उत्पादन और उसकी मात्रा से सुसंगत कारक और उस कारखाने की, जिसमें ऐसे माल का उत्पादन किया जाता है, वार्षिक उत्पादन क्षमता और माल पर इस शर्त के अधीन उद्‌गृहीत किए जाने वाले उत्पाद-शुल्क की दर के अवधारण की रीति के संबंध में नियम भी बनाएगी कि जहां अधिसूचित माल का उत्पादन करने वाला कारखाना केवल वर्ष के एक भाग में चलता है या यदि वह कतिपय अवधि के लिए बंद रहेगा तो ऐसा अवधारण आनुपातिक आधार पर किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करता है कि इस धारा के उपबंध शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख किसी उपक्रम द्वारा उत्पादित या विनिर्मित और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाए गए माल को लागू नहीं होंगे ।

खंड 75—किसी उत्पाद-शुल्क पर संदत्त ब्याज के प्रतिदाय का उपबंध करने के लिए धारा 11ख का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11घ का उसमें एक नई उपधारा अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन करने के लिए है जिससे केन्द्रीय सरकार को किसी व्यक्ति द्वारा संगृहीत किसी उत्पाद-शुल्क्य माल पर निर्धारित या अवधारित और संदत्त शुल्क से अधिक उत्पाद-शुल्क परिदर्शित करने वाली किसी रकम को संगृहीत करने और किसी ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल पर, जो पूर्णतः शुल्क से छूट प्राप्त

है या शून्य दर पर प्रभार्य है, उत्पाद-शुल्क को परिदर्शित करने वाली किसी रकम को भी संगृहीत करने के लिए समर्थ बनाया जा सके । तद्नुसार उक्त धारा की उपधारा (2) और उपधारा (4) में पारिणामिक संशोधन किए गए हैं।

खंड 77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11घघ का संशोधन करने के लिए है जिससे ऐसे निर्धारित या अवधारित शुल्क की अधिक संगृहीत और संदत्त रकम पर उस व्यक्ति से, जिसने उस रकम को संगृहीत किया था, ब्याज की वसूली और किसी ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल पर, जो शुल्क से पूर्णतः छूट प्राप्त हैं अथवा शून्य दर पर प्रभार्य हैं उत्पाद-शुल्क के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा संगृहीत रकम पर ब्याज की वसूली के लिए भी उपबंध किया जा सके ।

खंड 78—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ख की उपधारा (2) का एक परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के आयुक्तों की समिति की राय आयुक्त (अपील) द्वारा अपील में दिए गए आदेश के संबंध में भिन्न है, तो वह उस विषय को अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त को निर्देश करेगी, जो मामले के तथ्यों और उन प्रश्नों पर, जिन पर राय भिन्न है, विचार करेगा और यदि उसकी यह राय है कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा दिया गया आदेश वैध या उचित नहीं है तो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को यह निर्देश देगा कि वह आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करे । अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त, उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी पर अधिकारिता रखने वाला मुख्य आयुक्त होगा, जिसने मामले का विनिश्चय किया है ।

खंड 79—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ङ का इस दृष्टि से संशोधन करने के लिए है कि —

(i) उपधारा (1) में एक परंतुक अंतःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के मुख्य आयुक्तों की समिति की राय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के रूप में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा पारित आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में भिन्न है, तो वह मामले को बोर्ड को निर्देश करेगी, जो मामले के तथ्यों और उनके बीच भिन्नता पर विचार करेगा और यदि उसकी यह राय है कि आयुक्त द्वारा दिया गया आदेश वैध या उचित नहीं है तो आयुक्त या किसी अन्य आयुक्त को यह निर्देश देगा कि वह आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करे ;

(ii) उपधारा (3) का, यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापन किया जाए कि अधिनियम की धारा 35ङ की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आदेश न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा । प्रस्तावित संशोधन उक्त अधिनियम की धारा 35ङ की उपधारा (1) में संशोधन की दृष्टि से पारिणामिक प्रकृति का है ।

खंड 80—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में एक नई धारा 35चच अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि जब विनिश्चय अपीलार्थी के पक्ष में हो, तब आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण के आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम के विलंबित प्रतिदाय की दशा में ब्याज के संदाय के लिए उपबंध किया जा सके। इसमें यह उपबंध है कि यदि अपील प्राधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर रकम का प्रतिदाय नहीं किया जाता है और जब तक अपील प्राधिकारी के आदेश पर उच्चतर न्यायालय या अधिकरण द्वारा रोक नहीं लगा दी जाती है, अपील प्राधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् उस रकम के प्रतिदाय की तारीख तक धारा 11खख में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज का संदाय किया जाएगा ।

खंड 81—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने के लिए है जिससे कारखाने से निर्यात के लिए निकाले गए उत्पाद-शुल्क्य माल पर 8 जुलाई, 1999 से प्रारंभ होने वाली और 30 जून, 2001 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए संदत्त शुल्क के उस रिबेट को अनुज्ञात किया जा सके जिसके लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क के अधीन जारी की गई कतिपय अधिसूचनाओं के अधीन प्रतिदाय अनुदत्त किया गया है ।

खंड 82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 के नियम 18 का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने के लिए है जिससे कारखाने से, निर्यात के लिए निकाले गए उत्पाद-शुल्क्य माल पर 1 जुलाई, 2001 से प्रारंभ होने वाली और 28 फरवरी, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए संदत्त शुल्क का रिबेट अनुज्ञात किया जा सके जिसके लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क के अधीन जारी की गई कतिपय अधिसूचनाओं के अधीन प्रतिदाय अनुदत्त किया गया है ।

खंड 83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने के लिए है जिससे कारखाने से निर्यात के लिए निकाले गए उत्पाद-शुल्क्य माल पर 1 मार्च, 2002 से 7 दिसंबर, 2006 की अवधि के लिए संदत्त शुल्क के उस रिबेट को अनुज्ञात किया जा सके जिसके लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क के अधीन जारी की गई कतिपय अधिसूचनाओं के अधीन प्रतिदाय अनुदत्त किया गया है ।

उत्पाद-शुल्क टैरिफ

खंड 84—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का निम्नलिखित की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है,—

(i) अध्याय 24 और अध्याय 25 में कतिपय मदों पर शुल्क की दर में वृद्धि करने ;

(ii) अध्याय 39 के टिप्पण 16 को उसमें दो और प्रक्रियाओं को अंतःस्थापित करने की दृष्टि से संशोधित करने ;

(iii) अध्याय 85 में की किसी मद पर शुल्क की दर में वृद्धि करने ।

सेवा कर

खंड 85—वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 का संशोधन करने के लिए है जो निम्नलिखित रीति में सेवा कर से संबंधित है, अर्थात् :—

(I) उपखंड (अ) उक्त अधिनियम की धारा 65 का संशोधन करने के लिए है जिससे,—

(क) सहयुक्त उद्यम, सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर, इन्टरनेट दूरसंचार सेवा, प्रसंस्करण और निकासी गृह पदों को परिभाषित किया जा सके ;

(ख) निम्नलिखित कराधेय सेवाओं के विस्तार-क्षेत्र को विनिर्दिष्ट किया जा सके—

बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवा, कारबार सहायक सेवा, स्थोरा रखरखाव सेवा, इन्टरनेट दूरसंचार सेवा, प्रबंधन, अनुरक्षण या मरम्मत सेवा, स्थावर संपत्ति को किराए पर देने की सेवा, परामर्श इंजीनियर सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर सेवा, यूनिट सहबद्ध बीमा योजना (यूलिप) के अधीन आस्ति प्रबंधन सेवा, स्टाक एक्सचेंज सेवा, सामान्यतः वस्तु विनिमय सेवा के नाम से ज्ञात मान्यताप्राप्त संगम या रजिस्ट्रीकृत संगम, प्रसंस्करण और निकासी गृह सेवा, उपयोग सेवा के लिए मूर्तमाल प्रदाय,तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवा, तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणन सेवा, पर्यटन प्रचालक सेवा;

(ग) "इंटरनेट टेलीफोनी" कराधेय सेवा का लोप किया जा सके;

(घ) विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाओं की बाबत "कक्षीकार" शब्द के स्थान पर "कोई व्यक्ति" शब्द रखे जा सकें ;

(ङ) विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाओं में "ग्राहक" शब्द के स्थान पर "कोई व्यक्ति" रखे जा सकें ;

(II) उपखंड (आ) उक्त अधिनियम की धारा 66 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि निम्नलिखित सेवाओं को कराधेय सेवाओं के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सके, अर्थात् :—

(क) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर सेवा,

(ख) यूनिट सहबद्ध बीमा योजना (यूलिप) के अधीन आस्ति प्रबंधन सेवा,

(ग) स्टाक एक्सचेंज सेवा,

(घ) सामान्यतया वस्तु विनिमय सेवा के नाम से ज्ञात मान्यताप्राप्त संगम या रजिस्ट्रिकृत संगम,

(ङ) प्रसंस्करण और निकासी ग्रह सेवा,

(च) उपयोग सेवा के लिए मूर्त माल प्रदाय सेवा ;

(छ) इन्टरनेट दूरसंचार सेवा;

(III) उपखंड (इ) उक्त अधिनियम की धारा 67 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि जहां कराधेय सेवा का संव्यवहार किसी सहबद्ध उद्यम के साथ है, वहां लेखा बहियों में जमा की गई या विकलित किसी रकम को "प्रभारित सकल रकम" पद के विस्तार-क्षेत्र के भीतर सम्मिलित किया जा सके ;

(IV) उपखंड (ई) उक्त अधिनियम में क्रमशः नई धारा 71 और धारा 72 अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे—

(i) धारा 71 के अधीन फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणी स्कीम के अधीन कार्य करने वाले प्राधिकृत सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता के माध्यम से तैयार किए जाने और दिए जाने में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा सेवा कर विवरणी फाइल करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्कीम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त किया जा सके । इसमें यह उपबंध है कि सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता ऐसी रीति में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, विवरणी देने में व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की सहायता करेगा और यह खंड "सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता" और "विनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग" को परिभाषित करने के लिए है । यह उस रीति का, जिसमें और उस अवधि का, जिसके लिए सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता प्राधिकृत किया जाएगा, शैक्षणिक और अन्य अर्हताओं, प्रशिक्षण तथा पूरी किए जाने के लिए अपेक्षित अन्य शर्तों, आचार-संहिता, कर्तव्य और बाध्यताओं, ऐसी परिस्थितियों का जिनमें प्राधिकार वापस लिया जा सकेगा और ऐसे किसी अन्य विषय का, जो स्कीम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या विनिर्दिष्ट किया जाए, उपबंध करने के लिए है ;

(ii) जहां निर्धारिती धारा 70 के अधीन यथा अपेक्षित सेवा कर विवरणी तैयार करने में असफल रहा है या जहां विवरणी दे दी गई है किन्तु अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कर का निर्धारण करने में असफल रहा है, निर्धारिती को अपना पक्षकथन प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात करने के पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर निर्धारण के लिए प्राधिकृत किया जा सके ;

(V) उपखंड (उ) उक्त अधिनियम की धारा 77 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे विनिर्दिष्ट उल्लंघनों के लिए विनिर्दिष्ट शास्ति का उपबंध किया जा सके, जो निम्नानुसार हैं :—

धारा 69 के उपबंधों के अतिक्रमण, कतिपय सूचना देने में असफल रहने, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने में असफल रहने की दशा में, पांच हजार रुपए तक या देय तारीख के पश्चात् पहले दिन से प्रारंभ होने वाले और वास्तविक अनुपालन की तारीख तक ऐसे उल्लंघन के जारी रहने तक प्रत्येक दिन के लिए दो सौ रुपए की, इनमें से जो भी अधिक हो, शास्ति ;

इलैक्ट्रानिक रूप से सेवा कर का संदाय करने में असफल रहने, गलत या अपूर्ण बीजक जारी करने और साधारण उल्लंघन की दशा में, पांच हजार रुपए तक की शास्ति ;

(VI) उपखंड (ऊ) उक्त अधिनियम की धारा 78 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 78 के अधीन कराधेय सेवा के मूल्य को छिपाने के लिए शास्ति अधिरोपित की जाती है वहां धारा 76 के अधीन सेवा कर का संदाय करने में असफलता के लिए शास्ति लागू नहीं होगी ;

(VII) उपखंड (ए) उक्त अधिनियम की धारा 83 में, जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के कतिपय उपबंधों के लागू होने से संबंधित है, "धारा 35चच" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित करने के लिए है ;

(VIII) उपखंड (ऐ), उक्त अधिनियम की धारा 86 की—

(i) उपधारा (2) का उसमें एक परंतुक अंतःस्थापित करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के मुख्य आयुक्तों की समिति की राय, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के आदेश से भिन्न है, तो वह ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का कथन करेगी, जिन पर उसकी राय भिन्न है और मामले को बोर्ड को निर्देश करेगी, जो आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैध या उचित नहीं है तो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को यह निदेश देगा कि वह उस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करे ;

(ii) उपधारा (2क) का उसमें एक परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि आयुक्तों की समिति की राय आयुक्त (अपील) के आदेश से भिन्न है, तो वह ऐसे प्रश्न या प्रश्नों को अभिलिखित करेगी, जिन पर उसकी राय भिन्न है और मामले की अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त को निर्देश करेगी, जो आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् और यदि उसकी यह राय है कि आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश वैध या उचित नहीं है तो किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को यह निदेश देगा कि वह आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करे । अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी पर अधिकारिता रखने वाला वह मुख्य आयुक्त होगा जिसने मामले का विनिश्चय किया है ;

(IX) उपखंड (ओ) उक्त अधिनियम की धारा 94 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि बोर्ड द्वारा धारा 71 के अधीन बनाई गई ऐसी स्कीम संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने का उपबंध किया जा सके ।

(X) उपखंड (औ) उक्त अधिनियम की धारा 95 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि इस अध्याय में प्रस्तावित विधान द्वारा सम्मिलित की गई किसी कराधेय सेवा के मूल्य को लागू करने, वर्गीकृत करने या निर्धारण करने की दशा में, वित्त विधेयक, 2008 के अधिनियमन की तारीख से एक वर्ष तक, कठिनाई को दूर करने के लिए आदेश जारी करने में केन्द्रीय सरकार को सशक्त किया जा सके।

खंड 86—सेवा कर के विवादों के समाधान के लिए सेवा कर विवाद समाधान स्कीम, 2008 नामक स्कीम के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ से संबंधित है ।

खंड 87—में स्कीम में प्रयुक्त कुछ पदों और अभिव्यक्तियों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं ।

खंड 88—यह उपबंध करने के लिए है कि स्कीम उन मामलों में लागू नहीं होगी जिनमें बकाया कर में पच्चीस हजार रुपए से अधिक की रकम का सेवा कर सम्मिलित है और जिनमें वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73क के अधीन सूचना या आदेश जारी किया जा चुका है ।

खंड 89—अभिहित प्राधिकारी के समक्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिस पर कर बकाया है, घोषणा के लिए समयावधि और घोषणाकर्ता द्वारा स्कीम के अधीन संदेय रकम की दर विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए है ।

खंड 90—यह उपबंध करता है कि स्कीम के अधीन घोषणा अभिहित प्राधिकारी के समक्ष की जाएगी और आगे यह उपबंध करता है कि घोषणा ऐसे प्ररूप या ऐसी रीति में की जाएगी जो विहित की जाए ।

खंड 91—यह उपबंध करता है कि अभिहित प्राधिकारी घोषणा की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर घोषणा के आधार पर संदेय रकम का अवधारण करेगा और उसे प्राप्त घोषणा पर आदेश पारित करेगा । घोषणाकर्ता अभिहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम का संदाय करेगा और उसके समक्ष ऐसे संदाय का सबूत देगा । अभिहित प्राधिकारी घोषणा करने वाले व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र भी जारी करेगा जिसमें घोषणाकर्ता द्वारा संदेय राशि की विशिष्टियों का कथन होगा । यह खंड आगे यह उपबंध करता है कि जब किसी मामले का एक बार अवधारण कर दिया गया हो तो वह किसी न्यायालय में या किसी अन्य मंच के समक्ष ऐसे विवाद के लिए खुला नहीं रहेगा । यदि घोषणाकर्ता ने बकाया कर की बाबत किसी आदेश के विरुद्ध किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील या निर्देश के लिए कोई रिट याचिका फाइल की है तो घोषणाकर्ता ऐसी रिट याचिका या निर्देश को वापस लेने के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल करेगा और ऐसी वापसी का सबूत देगा ।

खंड 92—यह उपबंध करता है कि अपील प्राधिकारी घोषणा में विनिर्दिष्ट बकाया कर से संबंधित किसी ऐसे विवाद्यक का विनिश्चय करने के लिए अग्रसर नहीं होगा जिसकी बाबत अभिहित प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश कर दिया गया था ।

खंड 93—यह उपबंध करने के लिए है कि घोषणा के अनुसरण में संदत्त रकम किन्हीं परिस्थितियों में प्रतिदेय नहीं होगी ।

खंड 94—यह स्पष्ट करता है कि, स्कीम में जैसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है उसके सिवाय, किसी बात का इस रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह घोषणाकर्ता को किसी निर्धारण में अथवा उस कार्रवाई से भिन्न कार्रवाई में, जिससे घोषणा संबंधित है, कोई फायदा, रियायत या छूट प्रदान करती है ।

खंड 95—केन्द्रीय सरकार को ऐसी किसी कठिनाई को दूर करने के लिए स्कीम के उपबंधों से संगत कोई आदेश पारित करने के लिए सशक्त करता है जो उसके उपबंध को प्रभावी करने में उद्भूत होती हो । केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए ऐसे सभी आदेशों का संसद् के समक्ष रखा जाना अपेक्षित होगा ।

खंड 96—केन्द्रीय सरकार को स्कीम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है । स्कीम के अधीन बनाए गए सभी नियम संसद् के समक्ष रखे जाएंगे ।

खंड 97 से 116— किसी मान्यताप्राप्त संगम में किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहारों पर कर के उद्गृहण का उपबंध करते हैं।

खंड 97—अध्याय 7 के विस्तार, प्रारंभ और लागू होने से संबंधित है ।

खंड 98—परिभाषा संबंधी उपबंध है । इस खंड का उपखंड (5) कराधेय वस्तु संव्यवहार को परिभाषित करता है जिससे मान्यताप्राप्त संगमों में व्यवहार किए गए माल के विकल्प या वस्तु व्युत्पन्न के विकल्प या किसी अन्य वस्तु व्युत्पन्न के क्रय या विक्रय का कोई संव्यवहार अभिप्रेत है ।

खंड 99 और खंड 100—(i) माल के किसी विकल्प या वस्तु व्युत्पन्न के किसी विकल्प के विक्रय की दशा में विक्रेता द्वारा संदेय विकल्प प्रीमियम के 0.017 प्रतिशत ; (ii) जहां विकल्प का प्रयोग किया जाता है वहां माल के किसी विकल्प या वस्तु व्युत्पन्न के किसी विकल्प के विक्रय की दशा में, क्रेता द्वारा संदेय, यथास्थिति, माल में विकल्प या वस्तु व्युत्पन्न में विकल्प की तय की गई कीमत के 0.125 प्रतिशत; (iii) किसी अन्य वस्तु व्युत्पन्न के विक्रय की दशा में संदेय उस कीमत के, जिस पर वस्तु व्युत्पन्न का विक्रय किया जाता है 0.017 प्रतिशत की दर से, "वस्तु संव्यवहार कर" नामक कर के प्रभारण का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 101 से खंड 114—वस्तु संव्यवहार कर के संग्रहण, वसूली, विवरणियों के दिए जाने, निर्धारण प्रक्रिया, निर्धारण अधिकारी की शक्ति, भूल सुधार, ब्याज की प्रभार्यता, शास्ति के उद्ग्रहण, अभियोजन के संस्थित किए जाने और अपीलों के फाइल किए जाने के लिए उपबंध करते हैं । इसके अतिरिक्त इसमें यह भी उपबंध है कि आय-कर अधिनियम के विभिन्न प्रक्रिया संबंधी उपबंध, जहां तक हो सके, वस्तु संव्यवहार कर के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 115—केन्द्रीय सरकार को इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदत्त करता है । इस खंड में यह भी उपबंध है कि इस खंड के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 116—केन्द्रीय सरकार को इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न होने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त करता है । यह शक्ति केन्द्रीय सरकार को उस तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है, जिसको इस अध्याय के उपबंध प्रवृत्त होंगे । इस खंड के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 97 से खंड 116 केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे ।

खंड 117—वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उक्त अनुसूची से कुछ विद्यमान टैरिफ मदों का लोप किया जा सके और उसमें कुछ टैरिफ नई मदों को सम्मिलित किया जा सके । यह शुल्क की दर में वृद्धि करने की दृष्टि से कतिपय प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव करता है ।

खंड 118—भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 13 का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 13 की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि आय-कर अधिनियम, 1961 या आय, लाभ और अभिलाभों पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में व्युत्पन्न किसी आय, लाभ या अभिलाभ अथवा विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में प्राप्त किसी रकम की बाबत 1 फरवरी, 2003 से संगणित पांच वर्ष की अवधि के लिए कोई आय-कर या कोई अन्य कर संदेय नहीं होगा ।

यह प्रस्ताव है कि उपधारा (1) का संशोधन किया जाए जिससे 1 फरवरी, 2003 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए छूट अनुज्ञात की जा सके ।

यह संशोधन 1 फरवरी, 2008 से, भूतलक्षी रूप से, प्रभावी होगा ।

खंड 119—वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 के, जो प्रतिभूति संव्यवहार कर से संबंधित है, उपबंधों का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त अधिनियम की धारा 98 प्रतिभूति संव्यवहार कर के प्रभार का उपबंध करती है । इसमें यह उपबंध है कि किसी व्युत्पन्नी के विक्रय की दशा में, जहां ऐसे विक्रय का संव्यवहार किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किया जाता है, वहां प्रतिभूति संव्यवहार कर 0.017 प्रतिशत की दर पर होगा और विक्रेता द्वारा संदेय होगा।

धारा 98 में सारणी के उक्त क्र.सं. 4 को प्रतिस्थापित करने और उक्त अधिनियम की धारा 99 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रतिभूतियों में वायदे सौदों के विक्रय पर प्रतिभूति संव्यवहार कर 0.017 प्रतिशत की दर पर उद्गृहीत किया जाएगा और विक्रेता द्वारा संदेय होगा ; ऐसे किसी व्युत्पन्नी के विक्रय पर, जो प्रतिभूतियों में विकल्प है, विकल्प के प्रीमियम का 0.017 प्रतिशत की दर पर उद्गृहीत किया जाएगा और विक्रेता द्वारा संदेय होगा ; तथा प्रतिभूतियों में विकल्प के विक्रय पर समझौते की कीमत के 0.125 प्रतिशत की दर पर उद्गृहीत किया जाएगा, जहां विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है और क्रेता द्वारा संदेय होगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2008 से प्रभावी होगा ।

खंड 120—वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 95 का संशोधन करने के लिए है जो बैंककारी नकद संव्यवहार कर के प्रभार के संबंध में है ।

धारा 95 में नई उपधारा (3) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किए जा सके कि 31 मार्च, 2009 के पश्चात् किए गए किसी कराधेय बैंककारी संव्यवहार की बाबत कोई बैंककारी नकद संव्यवहार कर प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा ।

वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे कि शुल्क की दर में वृद्धि से कतिपय प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जा सके।